झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 28 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पद्मावती मंडल, पति - श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम - बेनागड़िया, पंचायत - पांचालियाँ वार्ड-01, प्रखण्ड + थाना - नाला, जिला - जामताड़ा ।

बनाम

प्रतिवादी DSO जामताड़ा ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–28 / 2023

शिकायतकर्ता श्रीमती पदमावती मंडल, पति–श्री अजीत मंडल एवं अन्य, ग्राम–बेनागड़िया, पंचायत–पांजनियाँ, वार्ड नं0–01, प्रखण्ड+थाना –नाला, जिला–जामताड़ा का अपील आवेदन डाक के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन–पत्र में शिकायतकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया है कि राशन डीलर श्रीमती उषा रानी मंडल (अनुज्ञप्ति सं0–02 / 2008) के स्थान पर उनके पति श्री नेपाल मंडल द्वारा PDS दुकान का संचालन किया जा रहा है। परिवाद–पत्र में श्री नेपाल मंडल के विरूद्ध कार्डधारियों को राशन समय पर नहीं दिये जाने, 2–3 कि0ग्रा0 कम राशन देने, राशन का कालाबाजारी करने तथा कार्डधारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा अपने परिवाद–पत्र में 14 माह से राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है।

प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जामताड़ा को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.05.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–30.05.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx35